

य उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

राजेश कुमार बनाम शम्भू सिंह को

मु. सं. 120/2022

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

17.8.23

वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र दावा विद्वा
पेश करने पर आज पत्रावली तलव की गई।
वादीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है
कि पक्षकारान में आपसे समझाईश से रजिनामा
हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर आज
है कि लोक अदालत की भांति से वादीगण का
दावा विद्वा किये जावे के आदेश फलामे। वादीगण
के वकील द्वारा वादीगण की तस्दीक की गई एवं
प्रतिवादीगण के वकील श्री भगवान लक्ष्मण मोना
एवम्बर ने इसकी सहमति दी। प्रार्थना पत्र
पर वादीगण के वकील श्री हरिशंकर सिंह राजपूर
एवं प्रतिवादीगण के वकील श्री भगवान लक्ष्मण मोना
को पुना गया। अतः वादीगण का प्रार्थना पत्र
दावा विद्वा स्वीकार होय है। वादीगण का
वाद पक्षकारान में राजिनामा के आधार पर
विद्वा करने की स्वीकृति दी जाली है। पत्रावली
कैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश पुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा

राजेश कुमार
नि. अ. अ. अ.
17.8.23
B. M. M.
A. V.
17-8-23
श. प. अ. अ.